जोननि

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक :– अग्नि/13/JFS/दक्षिण/2024–25/ 137 दिनांक :– 24/04/2024

प्रिंसिपल
सेन्ट पॉल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल
शास्त्रीनगर सर्किल, जोधपुर।

विषय : अग्निशमन अभिशंषा पत्र हेतू अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर मे स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण /अनापति बाबत।

संदर्भ : आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में।

उपर्युक्त संदर्भित एंव विषय में आपके विद्यालय भवन व परिसर का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन/परिसर मे स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था यंत्र/उपकरणो, हाईड्रेन्ट, होजरिल आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाई गई। भविष्य हेतू भी इन्हे एवं निर्देशित की गई अन्य व्यवस्था को सदैव सही व कार्यशील अवस्था मे रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित व्यवस्थापक को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तो की पालना व्यवस्थापक द्वारा करने की स्थिति में अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशंषा–पत्र जारी किया जाता है जो कि जारी होने कि तिथी से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

1. अभिशंषा पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अभिशंषा पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अभिशंषा पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
3. आपात स्थिति में भवन से निकासी हेतु प्रत्येक तल से सुरक्षित वैकल्पिक निकासी व्यवस्था आवश्यक होगी।
4. भवन का अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के निरीक्षण, परीक्षण रखरखाव हेतु प्रशिक्षित अग्निशामक की नियुक्ति करनी होगी।
5. भवन में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में स्वचलित ऑटो कट रखनी होगी तथा विद्युत भार अनुसार उच्च स्तरीय विद्युत वायर एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग करना होगा। तथा विद्युत व्यवस्था की अनापति विद्युत निरीक्षक से लेनी आवश्यक होंगी।
6. भवन में आवश्यक स्थानों पर सुरक्षा निर्देश व निकासी सूचक रेडियम से अंकित किए जाएंगे।
7. भवन के निकासी मार्गों/सीढ़ियों पर आपात कालीन प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।
8. भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु आपात योजना बनाई जाकर प्रति उपलब्ध करानी होगी।
9. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
10. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
11. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
12. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
13. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
14. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
15. एनबीसी नियमों कि पालना कि जानी अनिवार्य होगी।
16. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
17. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।

जलज घसिया
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जोधपुर दक्षिण